

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम महोदय द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही-

01-थाना टाण्डा- लाठी डण्डों से लैस होकर मारपीट करने में 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 18-02-2021 को ग्राम सौनकपुर थाना टाण्डा में दो पक्ष आपस में एकराय होकर, लाठी डण्डों से लैस होकर आपस में मारपीट, गाली गलौच आदि कर रहे थे। पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर दोनों पक्षों को काफी समझाने का प्रयास किया गया, परन्तु दोनों पक्ष नहीं माने बल्कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगे। इस सम्बंध में थाना टाण्डा, रामपुर पर सनव्वर आदि 15 नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वाँछित चल रहे अभियुक्तगण नासिर व सरफराज पुत्रगण सनव्वर हुसैन निवासी ग्राम सौनकपुर थाना टाण्डा, रामपुर को लालपुर कला तिराहा से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

02-थाना पटवाई:-जान से मारने की नियत से फायर कर, गम्भीर रूप से घायल करने में 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 18-02-2021 को वादी श्री लाखन सिंह पुत्र श्री गेंदनलाल निवासी जिवाई कदीम थाना पटवाई, रामपुर द्वारा थाना पटवाई जनपद-रामपुर पर आकर तहरीरी सूचना दी कि वह और उसका भाई विष्णु व उसकी पत्नी गाँव में ही प्रेमबाबू पुत्र रामपाल की दुकान पर डिश का बाक्स ठीक कराने गये थे। पैसों को लेकर कहा-सुनी हो गयी। इसी बीच प्रेमबाबू के भाई रिन्कू ने तमंचा लाकर प्रेमबाबू को दे दिया। दोनों द्वारा गाली गलौच करते हुए वादी व उसके भाई के साथ मारपीट की गयी और प्रेमबाबू ने वादी के भाई विष्णु के सीने में तमंचे से गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इस संबंध में थाना पटवाई, रामपुर पर मु0अ0सं0-22/21 धारा 323,307,504,506 भादवि व धारा 3(2)(ट)/3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट बनाम प्रेमबाबू व रिन्कू पंजीकृत किया गया है। इसीक्रम में थाना पटवाई, रामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रेमबाबू को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किया गया 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया। इस सम्बंध में थाना पटवाई, रामपुर पर मु0अ0सं0-23/2021 धारा 3/25 आम्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रेमबाबू पुत्र रामपाल निवासी ग्राम जिवाई कदीम थाना पटवाई, रामपुर।

बरामदगी:-

घटना में प्रयुक्त किया गया 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-1592/08 धारा 363,366 भादवि थाना पटवाई
2. मु0अ0सं0-309/17 धारा 498ए,452,377,376डी,506 भादवि0 व 3/4 दहेज अधि0 थाना मिलका
3. मु0अ0सं0-264/14 धारा 380 भादवि थाना पटवाई
4. मु0अ0सं0-022/2021 धारा 323,307,504,506 भादवि व 3(2)(V), 3(1)(द) Sc/St Act थाना पटवाई

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष श्री अमरीश कुमार मय टीम

03-थाना मिलकखानम:-पानी चलाने को लेकर हुए विवाद में वांछित चल रहा अभियुक्त 01 अद नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार-दिनांक 31-11-2020 को वादी श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह निवासी माटखेड़ा थाना मिलकखानम, रामपुर अपने खेत में पानी लगा रहा था। पानी चलाने को लेकर ग्राम टाहखुर्द थाना बिलासपुर, रामपुर के रहने वाले रेहान आदि 04 व्यक्तियों द्वारा वादी श्री सुखदेव सिंह के साथ गाली गलौच, लाठी डण्डों से मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से फायर किया गया था जिससे वादी श्री सुखदेव सिंह को छर्रे लग गये थे। इस सम्बन्ध में थाना मिलकखानम पर मु0अ0सं0-138/2020 धारा 323,504,307,324 भादवि बनाम रेहान आदि 04 नफर पंजीकृत हुआ था। दिनांक 02-11-2020 को थाना मिलकखानम, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज दिनांक 19-02-2021 को थाना मिलकखानम पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त बब्बू पुत्र कली मोहम्मद निवासी ग्राम टाहखुर्द थाना बिलासपुर, रामपुर को कुम्हरिया ज्यारत के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। इस संबंध में थाना मिलकखानम पर मु0अ0सं0-27/2021 धारा 3/25 आम्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।



थाना मिलकखानम :- पानी चलाने को लेकर हुए विवाद में वांछित चल रहा अभियुक्त 01 अदद नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार।

04-थाना मिलक:-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा अभियुक्त 01 अद नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार-
दिनांक 19-02-2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा अभियुक्त विभू शर्मा पुत्र नीरज शर्मा निवासी मौ0 परा कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली को क्योरार मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर मु0अ0सं0-63/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 11-02-2021 को थाना मिलक पर पंजीकृत मु0अ0सं0-56/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था।



थाना मिलक :-01 अद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

05-थाना

गंज:-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19-02-2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा अफजाल उर्फ मुन्ना पुत्र आजम निवासी बगीचा एमना थाना गंज, रामपुर को पहाडी गेट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गंज, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-378/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था।

06-थाना टाण्डा:-40 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 18-02-2021 को थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा 20-20 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ संजीव कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम जटपुरा थाना टाण्डा, रामपुर तथा पप्पू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम फत्तावाला थाना टाण्डा, रामपुर को टाण्डा दडियाल से जटपुरा को जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा, रामपुर पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

07-थाना अजीमनगर:-01 अद्द नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 19-02-2021 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा नावेद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम नंगलिया आकिल थाना अजीमनगर, रामपुर को ग्राम नवाबगंज के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिंदा 12 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0-47/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना अजीमनगर :-01 अद्द नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

08-थाना मिलक:-01 अद्द नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 19-02-2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा भीम शर्मा पुत्र कृष्ण कुमार शर्मा निवासी मौ0 रौरा खुर्द कस्बा व थाना मिलक, रामपुर को नवदिया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज चाकू बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर मु0अ0सं0-64/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09-थाना मिलक:-01 अद्द नाजायज तमंचे के साथ वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 19-02-2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त रवि उर्फ गुप्ता पुत्र दिनेश जोशी निवासी मौ0 रौरा खुर्द कस्बा व थाना मिलक, रामपुर को बकैनिया भाट गांव वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर मु0अ0सं0-62/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

10-थाना खजुरिया:- 20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 18-02-2021 को थाना खजुरिया, रामपुर पुलिस द्वारा गोपाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह नि0 बंगाली कालोनी मानपुर ओझा थाना बिलासपुर, रामपुर को पनवडिया तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 20 ली0 नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना खजुरिया पर मु0अ0सं0-15/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

11-थाना शहजादनगर:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 19-02-2021 को थाना शहजादनगर, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त जमुना प्रसाद पुत्र प्रीतम सिंह निवासी धमौरा थाना शहजादनगर, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

12-थाना कोतवाली-जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19-02-2021 को अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर, रामपुर के नेतृत्व में थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त जैनुल आवेदीन पुत्र तकरीम निवासी मौहल्ला घेर मर्दान खाँ थाना कोतवाली, रामपुर को दो महला रोड से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। दिनांक 14-11-2020 को े अभियुक्त को जिलाबदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जैनुल आवेदीन पुत्र तकरीम निवासी मौहल्ला घेर मर्दान खाँ थाना कोतवाली, रामपुर।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-20/21 धारा 10 गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली, रामपुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-571/19 धारा 147,149,341,332,353,427,188 भादवि व 7 सीएल एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01-उ0नि0 रहीस अहमद

02-हेड कां0 90 अनवार